यह निरीक्षण प्रतिवेदन आख्या कार्यालय उपशिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपशिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल,के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रहलाध सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19/12/2018 से 22/12/2018 तक सम्पादित किया गया था।

भाग-I

परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा ।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः यह कार्यालय कोटद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 01 किलो0 मीटर दूर देवी रोड पर स्थित है। देव मंदिर के ठीक सामने अवस्थित है। इस कार्यालय का कक्षा 01 से 08 तक के समस्त राजकीय विद्यालयों पर नियंत्रण है एवं विकास खंड क्षेत्र दुगड्डा के उक्त शिक्षकों के आहरण एवं वितरण के कार्य का सम्पादन करता है। उक्त कार्यालय प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता (कक्षा 01 से 08 तक) के प्रकरणो के अग्रसारण की इकाई है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्र. सं.	मद का नाम/लेखा श्रीषक	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधि° (+)	बचत
			प्रा° शे°	आवंटन	व्यय	प्रा°शे°	आवंटन	व्यय		
1	-	2017-18	-	4462867.00	4462867.00	-	111147.00	111147.00		-
2	-	2018-19 (11/2018 तक)	-	4111500.00	3682234.00	-	98785.00	44841.00		-

(ii) वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम			प्राप्त धनराशि			
		प्रा° शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्ति (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	बचत
2015-16	मध्याहन भोजन योजना	-	-	-	-	-	-
2016-17		-	-	-	-	-	-
2017-18		-	-	-	-	-	-
2018-19(11/2018)		-	-	-	-	-	-

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी सी (C) है।"विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

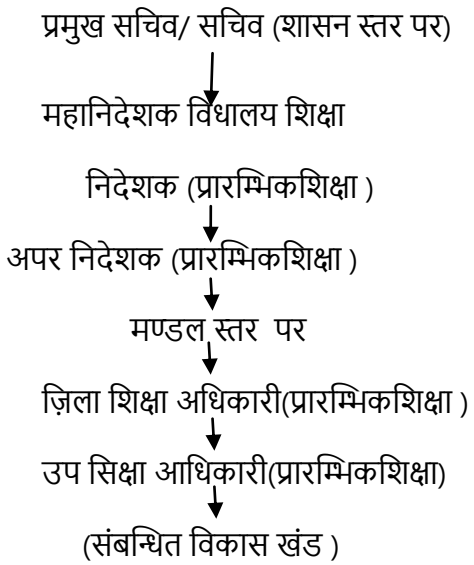

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिकशिक्षा) कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिकशिक्षा)कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2018 & 09/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त 01/2018 & 09/2018 माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:1- नई पेंशन योजना के अन्तर्गत नव-नियुक्त कर्मचारियो/अधिकारिओं के वेतन शीट /कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश (state share) जमा न होने के संबंध में।

उत्तराखंड राज्य मे दिनाक – 01/10/2005 के पश्चात सेवा मे नियुक्त अधिकारिओं/ कर्मचारियो हेतु वित्त विभाग की अधि सूचना -21/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2005 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत अंश दाई पेंशन योजना लागू की गयी थी। इस संबंध मे वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या -643/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2010 दिनाक 11/08/2010 के प्रस्तर –(2) के प्रविधनानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि कोषागार द्वारा लेखा शीर्षक -0071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवर्ति लाभों के लिए 00-117-नई पेंशन योजना ,01-कर्मचारी का अंश , 02-नियोक्ता का अंश(state share) के नामे जमा किए जाने की व्यवस्था की गयी थी।

इस संबंध में अपर सचिव उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या -113/06/XXVII(10) 2017 दिनाक -06/04/17 मे स्पष्ट किया गया है कि अंश दाई पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको के 10% अंशदान की कटौती उनके वेतन मद के लेखा शीर्षक -8342011170301 मे जमा किया जाएगा। साथ ही समतुल्य धनराशि सरकार के अंशदान के रूप मे 2071011170301 से कटौती कर लेखा शीर्षक 8342011170302 मे जमा की जाएगी। इस प्रकार लेखा शीर्षक -83420111703 मे जमा कुल धनराशि को आहरित कर निदेशक, कोषागार द्वारा सी0 आइ0 ए0 को प्रेषित किया जाएगा। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पौडी गढ़वाल) मे कार्यरत नव-नियुक्त कर्मचारियो/ अधिकारिओ के एनपीएस खातो एवं उससे संबन्धित अभिलेखो की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया है कि उनके वेतन शीट /कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश(state share) जमा नहीं हो रहा है। संप्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया है कि संस्था मे तैनात कर्मचारियो/ अधिकारिओ/शिक्षणगण मे से कर्मचारियों/ अधिकारिओं/शिक्षणगण की NPS पासबुक एवं लेजर तेयार किये गए है परंतु उनके NPS पासबुक एवं लेजर मे 10% state share दर्ज नहीं किया जा रहा है ।

कोषगार सल्ट (अल्मोड़ा) के E-कोष द्वारा कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश (state share) मार्च-2017 से जमा नहीं किया जा रहा है । संप्रेक्षा जांच मे यह पाया गया कि कॉलेज द्वारा कोषा अधिकारी एवं निदेशालय को भी लगभग 02 वर्ष से इस संबंध मे पत्र द्वारा कोई सूचना नहीं दी। इस संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इकाई से पुंछे जाने पर कॉलेज द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में लेखापरीक्षा के निर्देशों का पालन करते हुऐ कार्यवाही कि जायेगी। संप्रेक्षा मे इकाई उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उक्त प्रकरण मे संप्रेक्षा तिथि (11/18) तक कोई कार्यवाही नहीं की थी। शासनादेश में-06/04/17 मे स्पष्ट हें कि प्रविधनानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि का लेखांकन सुसंगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत न किए जाने के संबंध मे महालेखाकार उत्तराखंड द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 मे आपत्ति दर्ज कि गयी थी।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर-2- आवश्यक मानकों की अनदेखी कर अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता प्रदान किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) के शासनादेश संख्या 623/XXIV/(1) / 2013-R-467 /2011 दिनांक 27 जून 2013, के विषय :- उत्तराखण्ड नि:शुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, के प्रख्यापन के उपरान्त अशासकीय पूर्व मद्यमिक (जूनियर हाईस्कूल) प्राथमिक /नर्सरी विद्यालयों की मान्यता शर्तों के सम्बन्ध में, के बिन्दु (6) मान्यता के मानक (ख) आधारभूत संरचना (1) भवन – विद्यालय सोसाइटी को आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए किराए /लीज पर उपलब्ध होने पर ही मान्यता के लिए विचार किया जाएगा । किरायानामा विधिवत पंजीकृत होना एवं विद्यालय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना आवश्यक है । साथ ही विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा-सह–आवेदन पत्र में (छ) अन्य सुविधाएं 1-11 के अनुसार अग्नि से बचाव की व्यवस्था भी आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में विद्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, किराए के विद्यालय भवनों का कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए किराए /लीज पर किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं थे । तथा विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा-सह–आवेदन पत्र के अनुसार आवश्यक अग्नि से बचाव की व्यवस्था का प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त अग्निशमन अधिकारी द्वारा निर्गत, संलग्न नहीं पाये गए । तदनुसार मान्यता हेतु आवश्यक मानकों की अनदेखी कर अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता दी गई । अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता प्रदान किए जाने के दौरान, अग्नि से बचाव की व्यवस्था की अनदेखी किए जाने से जहां एक ओर विध्यार्थियों की जान जोखिम में डाली गई वहीं दूसरी ओर विद्यालय भवनों का किराए /लीज पर किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं कराये जाने के फलस्वरूप पंजीकरण शुल्क का अदेय लाभ विद्यालय प्रवंधनों को दिये जाने से शासकीय राजस्व की हानि भी हुई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि, यदि किसी किरायानामा का पंजीकृत होना अनिवार्य है, तो शासनादेशों का अध्ययन कर ऐसे विद्यालयों जिनका लीज रजिस्टर्ड नहीं है चिन्हित कर, मान्यता निरस्त किए जाने हेतु विद्यालयों की समीक्षा कर मान्यता निरस्त किए जाने हेतु प्रकरण तदनुसार ECO कार्यालय में प्रेषित किये जाएगें। अतः विद्यालय भवनों का किरायानाम विविधत पंजीकृत नहीं कराये जाने तथा अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता हेतु संस्तुति किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर :3 - त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण र 47873.00 का अधिक भुगतान ।

सातवें वेतन आयोग के शासनादेश संख्या-290/xxvii(7)50(16)/2016 दिनाक -28/12/16 एवं शासनादेश संख्या-290/xxvii(7)50(16)/2016 दिनाक -30/12/16 के अनुसार इकाई मे कार्यरत श्रीमति सुमन गुसाई वरिष्ठ लिपिक की सेवा पुस्तिका एवं अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया हें कि श्रीमति सुमन गुसाई वरिष्ठ लिपिक की दिनाक -09/07/16 को पदोननीति की गयी थी ,जिसके उपरांत कर्मचारी की निम्न विवरण के अनुसार वेतन का निर्धारण किया गया ।

दिनाक	वेतन वृद्धि का माह(जुलाई)	वर्तमान मूल वेतन	वेतन वृद्धि के उपरांत मूल वेतन	धनराशि/लेवेल	पदोननीति पर वेतनमान के कारण अधिक भुगतान की मूल वेतन की धनराशि(र)
01/01/16	-	53600.00	-	-	
01/07/16	-	53600.00	55200.00	08/47600-151100	
09/07/16(पदोननीति पर वेतनमान)	-	55200*3%=56856.00	Matrix table के अनुसार लेवेल 08 मे वेतन निर्धारण 56900.00 होना चाईहये ।	इकाई द्वारा अनुमान्य वेतन र58600.00	1744.00

	DUE			DRAWN				
दिनाक	PAY	DA	TOTAL	PAY	DA	TOTAL	DIFFERENCE(RS)	
09/07/16	56900.00	1138.00	58038.00	58600.00	1172.00	59772.00	1734.00	
01/08/16 to 31/12/16	-	-	-	-	-	-	1734*5=8675	
01/01/17to30/06/17	56900.00	2276.00	59176.00	58600.00	2344.00	60944.00	1768*06=10608.00	

दिनाक	वेतन वृद्धि का माह(जुलाई	वर्तमान मूल वेतन	वेतन वृद्धि के उपरांत मूल वेतन संप्रेक्षा जांच मे permotion के वेतन मन लेवेल-10 मे होने पर वेतन निर्धारण +DA	/इकाई द्वारा फिक्स किया गया मूलवेतनधनराशि/लेवेल permotion के वेतन मन लेवेल-10 मे होने पर वेतन निर्धारण	पदोननीति पर वेतनमान के कारण अधिक भुगतान की मूल वेतन की धनराशि(र) + DA की धनराशि.00
09/07/16	-	56900.00	-	08	-
01/07/17	-	56900.00	58600.00	60400.00	-
27/10/17(permotion वेतन मन	-	56900.00	61300.00	63100.00	**1800.00 +90.00 1890.00**

लेवेल-10 मे होने पर वेतन निर्धारण					
01/11/17 to 31/12/17	-	-	-	-	**1890*2= 3780.00**
01/01/18 to 30/11/18	-	61300.00	61300.00*7%=4291.00	63100.00*7%=4417.00	**1800+126= 1926.* 11=21186.00**
योग					**47873.00**

कार्यालय उप जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिकशिक्षा) कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) मे कार्यरत श्रीमति सुमन गुसाई वरिष्ठ लिपिक को दिनाक-09/07/16 एवं दिनाक -27/10/17 को क्रमश लेवेल-8 एवं लेवेल-10 मे permotion के दौरान एक वेतन वृद्धि अधिक देने के कारण संप्रेक्षा तिथि तक तक रु. 47873.00 का अधिक भुगतान किया गया था । संप्रेक्षा द्वारा अधिक भुगतान के संबंध मे इकाई से पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा को अवगत कराया गया है कि अधिक भुगतान की पुष्टि की जाती है । श्रीमति सुमन गुसाई वरिष्ठ लिपिक की सेवा पुस्तिका की जांच एवं वेतननिर्धारण की जांच करने के बाद अनुपालन आख्या संप्रेक्षा को प्रस्तुत की जाएगी। संप्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि matrix table की जांच किये बिना ही इकाई द्वारा श्रीमति सुमन गुसाई का permotion के बाद वेतन निर्धारण किया गया था ।प्रकरण, शासनादेश में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिकशिक्षा)कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**दिनांक**
1.	श्री श्रीमति सुषमा दास	उप शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिकशिक्षा)	2013-14 तक
2.	श्री हीरा सिंह नेगी	उप शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिकशिक्षा)	2014 से 05/06/15 तक
3.	सु श्री मोनिका	उप शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिकशिक्षा)	06/06/15 से 05/10/16 तक
4.	श्री हीरा सिंह नेगी विस्ट	उप शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिकशिक्षा)	06/10/16 से 18/11/16 तक
5.	श्री अभिषेक शुक्ला	उप शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिकशिक्षा)	19/11/16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उप जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिकशिक्षा) कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) महालेखाकार भवन कौलागढ़ उत्तराखंड देहारादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.